Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 9.134
Volume - 9, Issue - 8, August - 2026

DOIs:10.2018/SS/202608004 --:-- Research Paper / Article / Review

भारत–बांग्लादेश संबंधों के प्रारम्भिक चरण: सरकारी पत्राचार एवं राजनयिक संवाद का एक अध्ययन

हेमलता धरेन्द्र
शोधार्थी - राजनीति विज्ञान विभाग, महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, ढण्ढ, आमेर, जयपुर,भारत।
प्रो. डॉ. पांचू राम मीना
शोध निदेशक - प्राचार्य एवं डीन जयपुर कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एण्ड साइंस, ढण्ढ आमेर, जयपुर,भारत।
Email - hemlatad@97gmail.com,

सारांश: भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंध दक्षिण एशिया की भू-राजनीतिक संरचना, क्षेत्रीय सामरिक संतुलन तथा सहयोग-आधारित कूटनीतिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहे हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के उपरांत भारत द्वारा 6 दिसम्बर स्थाई रूप से मान्यता प्रदान की गई और 1972 में संपादित मैत्री,सहयोग व शांति संधि ने द्विपक्षीय संबंधो को संस्थागत और स्थाई रूप प्रदान किया। संसार का कोई भी देश अपने आप में पूर्ण नहीं है अपना सम्पूर्ण विकास के लिये दूसरे देशो पर निर्भर रहना पड़ता है उसी तरह भारत-बांग्लादेश है प्रस्तुत शोध पत्र 1971 से 1975 तक फैले उन प्रारम्भिक वर्षों का विश्लेषण करता है, जिनमें सरकारी पत्राचार, राजनयिक संदेशों, राजनीतिक संवाद, सांस्कृतिक संपर्क, आर्थिक पुनर्निर्माण, नदी-जल प्रबंधन तथा सुरक्षा संबंधी मुद्दों ने दोनों राष्ट्रों के संबंधों की मूल संरचना निर्धारित की। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत-बांग्लादेश संबंधों का यह प्रारम्भिक चरण मात्र औपचारिक कूटनीति नहीं, बल्कि साझे इतिहास, मानवतावाद और रणनीतिक दायित्वों से निर्मित एक विशाल सहयोग-तंत्र था, जिसने न केवल दक्षिण एशियाई देशों को विकास की राह दिखाई बल्कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय ढाँचों—विशेषतः SAARC—के उद्भव को भी प्रभावित किया एवं दोनों देशों को विकास का रास्ता दिखाया है इस शोध-पत्र में भारत-बांग्लादेश के संबंधो के ऐतिहासिक परिपेक्ष्य जिसमें प्रारम्भिक चरण,वर्तमान स्थिती व भविष्य के संबंधो की संभावना को सुनिश्चित करता है

मुख्य शब्द: भारत, बांग्लादेश, मुक्ति संग्राम, राजनयिक संवाद, 1972 मैत्री संधि, सरकारी पत्राचार, इंदिरा गांधी, शेख मुजीबुर्रहमान, दक्षिण एशिया।

1. भूमिका

भारत और बांग्लादेश के संबंधों की प्रकृति दक्षिण एशिया की कूटनीति में विशिष्ट स्थान रखती है। यह संबंध केवल दो राष्ट्रों के बीच औपचारिक राजनयिक संपर्कों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषाई तथा राजनीतिक अनुभवों की साझा विरासत पर आधारित हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम के समय भारत ने न केवल सैन्य और राजनीतिक स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाई, बल्कि बड़े पैमाने पर आए शरणार्थियों को मानवीय सहायता प्रदान करके भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के तुरंत बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संवाद प्रारम्भ हुआ, जिसने 1972 की मैत्री संधि के माध्यम से दीर्घकालिक सहयोग का आधार निर्मित किया। यह शोध पत्र 1971–1975 के बीच भारत और बांग्लादेश के मध्य हुए सरकारी पत्राचार, राजनीतिक विचार-विनिमय, राजनयिक आदान-प्रदान, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों तथा उन चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिन्होंने इन संबंधों के आरंभिक स्वरूप को आकार दिया।

2. साहित्यिक समीक्षा

भारत–बांग्लादेश संबंधों के प्रारम्भिक चरण: सरकारी पत्राचार एवं राजनयिक संवाद का एक अध्ययन भारत और बांग्लादेश के संबंध दक्षिण एशिया की राजनीति में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। 1971 में बांग्लादेश के उदय के साथ ही दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक,

सांस्कृतिक, भाषाई तथा भौगोलिक निकटता पर आधारित संबंधों की शुरुआत हुई। प्रारंभिक वर्षों में दोनों देशों के संबंध सहयोग, मित्रता तथा क्षेत्रीय स्थिरता के आदर्शों पर आधारित थे, किंतु समय के साथ जल-विवाद, सीमा प्रबंधन, प्रवासन तथा सुरक्षा संबंधी मुद्दों ने इन संबंधों को प्रभावित किया। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर विद्यमान साहित्य मुख्यतः ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक दृष्टिकोण से विकसित हुआ है। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद स्थापित हुए संबंधों ने दक्षिण एशिया की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने प्रारम्भिक संबंधों की प्रकृति, उनके विकास तथा चुनौतियों का विश्लेषण किया है। इस साहित्य समीक्षा का उद्देश्य 1971–1975 की अवधि में भारत-बांग्लादेश संबंधों पर उपलब्ध प्रमुख अध्ययनों का विश्लेषण करना है।

भंबानी सेन गुप्ता (1974) ने 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका को बताते हुए कहा कि भारत द्वारा बांग्लादेश को सेनिक कुटनीतिक और मानवीय सहयोग प्रदान करके स्वतंत्रता में निर्णायक भूमिका निभाई जिसने दोनों देशों के भावी संबंधो की आधारशिला रखीं।

पी.धर (1987),भारत-बांग्लादेश संबध, इस पुस्तक में भारत-बांग्लादेश दोनों देशों के संबंधो को चलायमान स्वरूप दिया। पाकिस्तान द्वारा दिये गये द्विराष्ट्र सिद्दांत को समाप्त कर दिया। भारत द्वारा बांग्लादेश को सम्प्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने से मधुर संबध बने। उदाहरण-भारत द्वारा मुक्तिवाहिनी को समर्थन देना परिणामस्वरूप 1972 में मैत्री संधि का होना।

डॉ पुष्पा देवगन ने अपनी कृति " भारत-बांग्लादेश संबंध: एक अध्ययन में" बांग्लादेश के उदय होने से संबंधो में प्रगति हुई है,16 से 18 फरवरी 1972 को शेख मुजीबुर्रहमान की यात्रा के पश्चात् दोनों देशों के बीच लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धातों के आधार पर सम्बन्ध बने। यह प्रारंभिक संवाद व यात्रा से संभव हुआ।

भसीन अ.स. (2003). भारत-बांग्लादेश सम्बन्ध:Documents 1971–2002 यह वॉल्यूम भारत-बांग्लादेश सम्बन्धो के अध्ययन में प्रमुख स्रोत है जिसमें 1971 से 2002 तक के सरकारी पत्राचार,समझोते व कूटनीतिक संवाद प्रमुख है जिसमें 1971 से 2002 तक के सरकारी पत्राचार,कूटनीति सम्वाद प्रमुख है जो इस शोध को प्रमुख आधार प्रदानं करते है.जेसे:- भारत में बांग्लादेश के प्रथम राजदूत द्वारा परिचय पत्र प्रस्तुत करने के बाद भारत सरकार द्वारा ज़ारी किया गया (प्रेस नोट-नई दिल्ली,13 मार्च 1972)

बांग्लादेश के राजदूत डॉ अजीबर रहमान मलिक ने राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरी को अपना परिचय दिया और कहा की "बांग्लादेश शांति में विश्वास रखता है,हमने लोकतंत्र,समाजवाद,धर्मनिरपेक्ष व राष्ट्रवाद को अपने आदर्शों के रूप में अपनाया है। हम दोनों देश एक – दूसरें के सहयोग से मानव जाति की शांति-प्रगति में प्रमुख भूमिका निभा सक़ेगे।"

भारत- बांग्लादेश जनवादी गणराज्य के बीच मत्री,सहयोग,शांति सहयोग,संधि: (ढाका-19 मार्च 1972 को हुई।) दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। जल,विधुत,सिंचाई में विकास, कला,साहित्य,शिक्षा,संस्कृति में सम्बन्ध और आर्थिक,वज्ञानिक,व तकनीकी में सर्वागीण विकास पर ध्यान दिया गया।यह संधि 25 वर्षों के लिये की गयी आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। दोनों देशों के मध्य होने वाले मतभेदों को शांति पूर्ण तरीकें से सुलझाया जायगा। यह समझोता श्रीमती इंदिरा गाँधी व शेख मुज़िबुर्ररहमान के बीच हुआ। (अवतार सिंह भसीन,पेज 21-31)

3. उद्देश्य

- भारत और बांग्लादेश के बीच प्रारम्भिक राजनयिक संबंधों के विकास को समझना।
- सरकारी पत्राचार के माध्यम से दोनों देशों की नीतियों और दृष्टिकोण का विश्लेषण करना।
- प्रारम्भिक वर्षों में हुए राजनयिक संवाद की प्रकृति और दिशा का अध्ययन करना।
- द्विपक्षीय संबंधों की नींव रखने वाले प्रमुख मुद्दों और समझौतों की पहचान करना।
- वर्तमान भारत–बांग्लादेश संबंधों को समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करना।

4. कार्यप्रणाली

"भारत–बांग्लादेश संबंधों के प्रारम्भिक चरण: सरकारी पत्राचार एवं राजनयिक संवाद का एक अध्ययन" विषय के गुणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है,अध्ययन का स्वरूप व्याख्यात्मक होगा, जिसमें घटनाओं और नीतियों का गहन विश्लेषण किया जाएगा। द्वियतियक स्रोतों मे पुस्तको,शोध पत्रिकाओं,सरकारी दस्तावेज़,समाचार पत्रों,ऑनलाइन स्रोत्तो का अद्ययन किया गया

जायगा। भारत-बांग्लादेश के मध्य हुये संबंधो कों विशलेषण पद्धति के समझोते,संधियों,कूटनीतिक दस्तावेज़ का विशलेषण कर उस समय की स्थिति को समझने का प्रयास किया गया है राजनयिक संवाद के अध्ययन दोनों देशों के प्रमुखों के बीच के पत्रों के आदानप्रदान से समझने का प्रयास किया गया है प्रारम्भिक चरण के संबंधो की तुलना वर्तमान संबंधो से करकें विकास को समझने का प्रयास किया जायगा।

5. शोध अन्तराल

उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट है कि अधिकांश अध्ययन जल-विवाद, सीमा प्रश्न अथवा विशिष्ट राजनीतिक घटनाओं पर केंद्रित हैं। 1971–1975 की अवधि में भारत-बांग्लादेश संबंधों के समग्र विकास, राजनीतिक संवाद व सरकारी पत्राचार पर एकीकृत विश्लेषण अपेक्षाकृत कम उपलब्ध है। विशेष रूप से साझा ऐतिहासिक विरासत से रणनीतिक साझेदारी तक संबंधों के क्रमिक विकास पर सीमित शोध किया गया है। यही वर्तमान अध्ययन की आवश्यकता और प्रासंगिकता को स्थापित करता है।

6. भारत–बांग्लादेश संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: विभाजन से स्वतंत्रता तक

1947 का विभाजन और पूर्वी-पश्चिमी पाकिस्तान का अंतरविरोध

भारत-विभाजन के पश्चात निर्मित पाकिस्तान भौगोलिक रूप से दो अलग-अलग भागों—पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान—में विभक्त था, जिन्हें भारत की विशाल भूमि विभाजित करती थी। भौगोलिक दूरी के साथ-साथ दोनों भागों में राजनीतिक, भाषाई और सांस्कृतिक भिन्नताएँ भी व्यापक थीं। पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता संरचना में उर्दूभाषी था, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा प्रभाव था। पाकिस्तान सरकार द्वारा उर्दू को एकमात्र राजभाषा घोषित करने से उत्पन्न असंतोष ने 1952 के भाषा आंदोलन तथा आगे चलकर व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। इसके विरोध में शेख मुजीबुर्रहमान के द्वारा अवामी लीग पार्टी बनाई गई।

1970 का आम चुनाव और सत्ता संकट

1970 के आम चुनाव हुए जिसमें पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग कोभारी बहुमत मिला किंतु सैन्य शासन और पश्चिमी पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व ने सत्ता हस्तांतरण की बजाय शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया इससे पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष उग्र राजनीतिक विरोध-आंदोलन के रूप में बदल गया और अलग राष्ट्र की मांग की गई जिसने राष्ट्रव्यापी विद्रोह की स्थिति उत्पन्न कर दी।

1971 का मुक्ति संग्राम व बांग्लादेश का उदय

25 मार्च 1971 को पाकिस्तान की सेना ने "ऑपरेशन सर्चलाइट" नामक कठोर दमनात्मक अभियान चलाकर पूर्वी पाकिस्तान की जनता पर व्यापक हिंसा की। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप लाखों लोग विस्थापित हुए और लगभग एक करोड़ शरणार्थी भारत पहुँच गए। यह स्थिति भारत के लिए मानवीय, आर्थिक और सुरक्षा—तीनों स्तरों पर चुनौतीपूर्ण थी। भारत ने शरणार्थियों को सहायता प्रदान की तथा बाद में मुक्ति वाहिनी के साथ समन्वय के आधार पर सैन्य हस्तक्षेप किया, यह संघर्ष 9 माह तक चला 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई आख़िरकार 16 दिसंबर 1971 को शेख मुजीबुर्रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कर नये राष्ट्र को बनाया और बांग्लादेश को जन्म दिया।

भारत की मान्यता और प्रारम्भिक राजनयिक संवाद

भारत-बांग्लादेश के मध्य 1971-1975 के बीच होने वाले राजनयिक संवादों में प्रमुखता नियमित उच्चस्तरीय बैठक,विदेश सचिव स्तरीय वार्ता,सयुक्त आयोगों का गठन ,सयुक्त विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा और शांति संधिया आदि की थीं।

भारत द्वारा बांग्लादेश की आधिकारिक मान्यता (6 दिसंबर 1971)

भारत वह पहला देश था जिसने बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की। यह निर्णय भारत की विदेश नीति में निहित मानवतावादी दृष्टिकोण,गांधीवादी दृष्टिकोण, नेहरूवादी दृष्टिकोण और दक्षिण एशिया में शांति का परिचायक था।

सरकारी पत्राचार का महत्व

किसी भी राष्ट्र के विदेश संबंधों में सरकारी पत्राचार (Official Correspondence) अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।इससे दोनों राष्ट्रों के बीच न केवल पत्राचार संबंद्ध बनते अपितु राजनीति,सामाजिक,आर्थिक,सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है इसमें शामिल होते हैं—राजनयिक पत्र,आधिकारिक ज्ञापन,विदेश मंत्रालय के संदेश,संयुक्त घोषणाएँ.उच्चस्तरीय वार्ताओं के अभिलेख,राजदूतों की रिपोर्टें आदि।

सरकारी पत्राचार और परिचय-पत्र का आदान-प्रदान (मार्च 1972)

सरकारी पत्राचार का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के मध्य समस्याओ में विशेंष रूप से नव स्वन्त्र बांग्लादेश के चहुमुखी विकास-शरणार्थी संकट का समाधान, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण, सुरक्षा सहयोग आदि। इन्हीं संदर्भो को ध्यान में रखते हुए मार्च 1972 में बांग्लादेश के प्रथम राजदूत डॉ. अजीबर रहमान मलिक ने राष्ट्रपति वी. वी. गिरि को अपना परिचय-पत्र प्रस्तुत किया। इस राजनयिक संवाद में

दोनों देशों ने शांति, लोकतांत्रिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के आधार पर भविष्य में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। राष्ट्रपति गिरि ने ऐतिहासिक निकटता, सांस्कृतिक समानताओं और पारस्परिक सम्मान की भावना को रेखांकित करते हुए भारत की मैत्रीपूर्ण नीति को दोहराया।

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ढाका संबोधन (17 मार्च 1972)

ढाका में अपने भाषण में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेशी जनता के संघर्ष को मानवता, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति वैश्विक प्रेरणा बताया। यह संबोधन दोनों देशों के भावनात्मक और नैतिक जुड़ाव का प्रतीक था।

1972 की भारत-बांग्लादेश मैत्री, सहयोग एवं शांति संधि

19 मार्च 1972 को संपादित यह संधि द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला सिद्ध हुई। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं:

जिसके प्रमुख बिंदु –

1. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। (अनुछेद-1)
2. उपनिवेशवाद व नस्लवाद के लिये संयुक्त संघर्ष। (अनुछेद-2)
3. अन्तराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाये रखने के लिये गुटनिरपेक्षता की नीति में विश्वास। (अनुछेद-3)
4. अन्तराष्ट्रीय समस्याओ के समाधान पर विचारों के माध्यम से नियंत्रण ।(अनुछेद-4)
5. आर्थिक,वज्ञानिक,व तकनीकी में सर्वागीण विकास।(अनुछेद-5)
6. जल,विधुत,सिंचाई में विकास ।(अनुछेद-6)
7. कला,साहित्य,शिक्षा,संस्कृति में सम्बन्ध ।(अनुछेद-7)
8. दोनों देशों के बीच मैत्री सम्बन्ध । (अनुछेद-8)
9. दोनों देशों द्वारा इस प्रकार का कोई समझोता नहीं किया जायगा जिसमे किसी अन्य पक्ष को सहायता दी जायगी ।(अनुछेद-9)
10. दूसरे राज्यों से कोई प्रतिबद्ता नहीं । (अनुछेद-10)
11. यह संधि 25 वर्षों के लिये की गयी आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है ।(अनुछेद-11)
12. दोनों देशों के मध्य होने वाले मतभेदों को शांति पूर्ण तरीकें से सुलझाया जायगा । यह समझोता श्रीमती इंदिरा गाँधी व शेख मुज़िबुर्रहमान के बीच हुआ । (अनुछेद-12) (अवतार सिंह भसीन,पेज 21-31)

संधि को 25 वर्षों के लिए लागू किया गया, जिससे सहयोग का दीर्घकालिक और संस्थागत आधार तैयार हुआ। इस प्रकार दोनों देशों द्वारा एक-दूसरें के बीच सम्बन्धो को मजबूत करने के लिये साहित्यकारो,कलाकारों,शिक्षाविदों के बीच न केवल संवाद हुए अपितु यात्रायें व सांस्कृतिक आदानप्रदान हुआ ।

आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक सहयोग के प्रारम्भिक प्रयास

परिवहन, व्यापार और संपर्क का पुनर्विकास (1972–1975)

भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के निमत्रण पर शेख मुजीबुर्रहमान द्वारा भारत की यात्रा की गई और 16 मई 1974 को सयुक्त घोषणा जारी कि जिसमे वाणिज्य,व्यापार,सड़क-परिवहन,रेल संपर्क और आर्थिक,राजनीतिक विकास पर वार्तालाप हुआ।

संयुक्त नदी आयोग (1972)

भारत और बांग्लादेश के बीच जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए स्थापित एक ***द्विपक्षीय*** संस्था है। इसकी स्थापना **मार्च 1972** में इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच हुए समझौते से हुई थी।भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग **54 साझा नदियाँ** बहती हैं। जिनके जल का उपयोग, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौवहन तथा जल-संसाधनों के समन्वित विकास के लिए किया जाता था इसलिये दोनों देशों द्वारा 1972 में **संयुक्त नदी आयोग** की स्थापना की। जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच नदियों के जल का उचित,न्यायसंगत उपयोग,बाढ़ नियन्त्रण ,कृषि विकास,जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं को रोकना था व सहयोग बढ़ाने की ओर कदम था। नदी जल प्रबंधन—विशेषकर गंगा, ब्रह्मपुत्र और टीस्ता—पर संयुक्त अध्ययन और तकनीकी सहयोग की रूपरेखा तैयार की गई। दोनों देशों के प्रतिनिधि का यात्रा की गई जो भविष्य के लिये मार्गदर्शन करने वाली थी।

सीमा प्रबंधन एवं सुरक्षा सहयोग

भारत और बांग्लादेश के मध्य लगभग 4096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इतनी लम्बी सीमा सुरक्षा चुनोतिपूर्ण कार्य था। जिसे करने के लिए भारत-बांग्लादेश द्वारा सरकारी सीमा प्रबंधन हेतु संयुक्त समितियों का गठन किया। जिसके लिये सरकारी पत्राचार के माध्यम से निम्न विषयों पर चर्चा हुई । अनेक सीमाओ निर्धारण हुआ अपितु अनेक सीमा चौकियों की स्थापना की गई । जिससे अवैध आव्रजन, तस्करी नियंत्रण, सीमा सुरक्षा बलों के बीच समन्वय पर कदम उठाये जा सके।

आर्थिक सहयोग का प्रारम्भ तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग

1972-1975 के बीच दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने हेतु अनेक समझौते किए।भारत ने बांग्लादेश के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, औद्योगिक विकास, परिवहन, संचार तथा ऊर्जा क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग प्रदान किया। कृषि अनुसंधान, सिंचाई, नदी प्रबंधन, रेल संपर्क, शिक्षा, अंतर्देशीय जलमार्ग,स्वास्थ्य तथा वैज्ञानिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा। विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, तकनीकी प्रशिक्षण और विकास परियोजनाओं के माध्यम से दोनों देशों ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमता के विकास को प्रोत्साहित किया, जिससे द्विपक्षीय संबंध और अधिक सुदृढ़ हुए। भारत द्वारा बांग्लादेश को प्रदान की जाने वाली सहयोग का लक्ष्य बांग्लादेश का पुनर्निर्माण करना है।

सांस्कृतिक और भाषाई निकटता: साझा विरासत

भारत और बांग्लादेश की सांस्कृतिक जड़ें अत्यंत गहरी हैं। बंगाली भाषा और साहित्य दो देशों को जोड़ने वाला प्रमुख माध्यम है। टैगोर, नजरुल और विभूतिभूषण बंद्योपाध्याय जैसे महान साहित्यकारों की परंपरा दोनों देशों में समान रूप से पूजनीय है। कलाकारों व साहित्यकारों के बीच सांस्कृतिक यात्राओं, प्रस्तुतियों और सेमिनारों ने द्विपक्षीय संपर्क को और सुदृढ़ किया। इस सांस्कृतिक जुड़ाव ने राजनीतिक संबंधों में भी विश्वास एवं सहानुभूति का वातावरण तैयार किया। ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र और बाद में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना ने साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में द्विपक्षीय आदान-प्रदान को सशक्त बनाया। जिससे दोनों देशों में आत्मीय सम्बन्ध बने।

प्रारम्भिक चुनौतियाँ और कूटनीतिक जटिलताएँ

शरणार्थी समस्या, अवैध आवागमन और सीमा प्रबंधन

1971 के युद्ध के बाद भारत को करोड़ों शरणार्थियों के पुनर्वास एवं वापसी का कठिन कार्य करना पड़ा। इससे भारत के सामाजिक और आर्थिक तंत्र पर महत्वपूर्ण दबाव पड़ा।अवैध आव्रजन, तस्करी, पशु-तस्करी और सीमाई सुरक्षा से जुड़े मुद्दे प्रारम्भिक वर्षों में गंभीर चुनौतियाँ बने रहे।

गंगा जल विवाद

गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने से भारत के प्रमुख बड़े राज्यों से निकलती है जिनमें उत्तर प्रदेश,बिहार,पश्चिम-बंगाल में बहती है बांग्लादेश तक पहुचते ही पानी कम हो जाता है इस समस्या को दूर करने के लिये फरक्का बेराज का विकल्प लिया।1974 में फरक्का बैराज के संदर्भ में नदी जल वितरण का विवाद उभरा, जिसका अंततः समाधान 1996 में गंगा जल संधि के माध्यम से हुआ।

बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता

1975 में शेख मुजीबुर्रहमान व उनके परिवार सदस्यों की हत्या की गई और उसके बाद उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता ने द्विपक्षीय संबंधों की गति को प्रभावित किया। शेख मुजीब के बाद का युग अस्थिरता का था। जिसमें भारत के प्रति संदेह, अविश्वास था चीन व पश्चिम और इस्लामिक देशों से सम्बन्ध बनाने पर जोर था।

कूटनीतिक संतुलन और रणनीतिक साझेदारी

यदपि दोनों देशों के मध्य प्रारंभिक वार्तालाप व सरकारी पत्राचारों के माध्यम से संबंधो को सुधारने के लिये न केवल यात्रायें की गई अपितु लागूं करने भी प्रयास हुये लेकिन संधि व समझोते अधिक समय तक नहीँ चल सके दोनों देशों का राजनीतिक वातावरण खराब होने से 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या कर दी गई। इन चुनौतियों के बावजूद भारत और बांग्लादेश ने संवाद की निरंतरता और सहयोग की भावना को बनाए रखा। दोनों देशों ने—खाद्यान्न सहायता,वित्तीय ऋण,सैन्य प्रशिक्षण,प्रशासनिक सुधार,संचार एवं परिवहन विकास जैसे क्षेत्रों में मिलकर कार्य किया। भारत ने बांग्लादेश के पुनर्निर्माण प्रयासों में विशेष भूमिका निभाई, जिससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए।

7. निष्कर्ष

साहित्य समीक्षा से स्पष्ट होता है कि 1971–1975 का काल भारत-बांग्लादेश संबंधों के निर्माण और विकास का आधारभूत चरण था। इस अवधि में सहयोग, मैत्री और रणनीतिक निकटता के साथ-साथ जल-विवाद, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आईं। इन अनुभवों ने बाद के दशकों में विकसित हुई रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी। यह अध्ययन नीति - निर्माताओं के लिए उपयोगी है क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि सफल पड़ोसी संबंध केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति से नहीं, बल्कि सतत सरकारी संवाद, अभिलेखीय पारदर्शिता तथा संस्थागत सहयोग से विकसित होते हैं। भारत और बांग्लादेश को भविष्य में भी नियमित राजनयिक संवाद, साझा आयोगों तथा अभिलेखीय सहयोग को सुदृढ़ करना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय संबंधो में सरकारी पत्राचार व संवादों का महत्त्व है जों हम भारत-बांग्लादेश के प्रारम्भिक सम्बन्धो में देख सकते है।

संदर्भ सूची

सामान्य/शोध-पत्र

1. हबीबुल्लाह, एम., एवं हुसैन, ई. (2020). *बांग्लादेश-भारत राजनयिक संबंध (1975–1996): संक्रमण, द्विपक्षीय विवाद एवं विरासत.* **ग्लोबल जर्नल ऑफ ह्यूमन-सोशल साइंस**।
2. पांडेय, पी. (2012). *भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल विवाद की राजनीति का पुनरावलोकन.* **इंडिया क्वार्टरली**।
3. सलीमुल्लाह, एम. (2024). *भारत-बांग्लादेश संबंध: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं वर्तमान वास्तविकताएँ.* **SSRN**।
4. अहमद, आई. (2024). *साझा इतिहास से रणनीतिक साझेदारी तक: भारत-बांग्लादेश संबंधों की बदलती गतिशीलता.* रिसर्च गेट ।
5. अली, एम. ए. (2022). *भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों के 51 वर्ष: अवसर एवं चुनौतियाँ*।

पुस्तकें

1. भसीन, ए. एस. (संपा.). (2003). *भारत–बांग्लादेश संबंध: दस्तावेज, 1971–2002* (5 खंड). गीतिका पब्लिशर्स।
2. धर, पी. एन. (1987). *भारत–बांग्लादेश संबंध*।
3. सेन गुप्ता, बी. (1974). *भारत और बांग्लादेश संबंध*।
4. देवगन, पुष्पा. (वर्ष उपलब्ध नहीं). *भारत–बांग्लादेश संबंध: एक अध्ययन*।